"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2006—आश्विन 17, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/30/2005/वाक/पांच (85).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 3-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण का गठन इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 10/30/2005/वाक/पांच (85).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/30/2005/वाक/पांच (85), दिनांक 9 अक्टूबर, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 9th October 2006

NOTIFICATION

No. F 10/30/2005/CT/V (85).—In exercise of powers conferred under section 3-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the state government hereby constitutes Chhattisgarh Commercial Tax Tribunal from the date of issue of this notification to exercise the powers and perform the functions conferred on the tribunal by or under the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.